

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भीकमसिंह बनाम लोक सूचना अधि० (जिला रसद अधि० धौ०) प्रथम अपील (मु०संख्या 84/2021) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न० 2021/190)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</p>
<p>28-12-21</p>	<p>अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2021/1954 दिनांक 15.9.2021 के जरिये रिपोर्ट प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री भीकमसिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2021/1943 दिनांक 07.09.2021 व संशोधित पत्र क्रमांक 1952 दिनांक 15.09.2021 के जरिये अपीलान्ट श्री भीकमसिंह को रजिस्टर्ड डांक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। सूचना की प्रति व रजिस्टर्ड डांक टिकट की प्रति संलग्न कर पेश की है।</p> <p>अतः इस प्रकार अपीलान्ट को जिला रसद अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक रसद/सू.अ./2021/1943 दिनांक 07.09.2021 व संशोधित पत्र क्रमांक 1952 दिनांक 15.09.2021 के जरिये सूचना रजिस्टर्ड डांक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।</p> <p style="text-align: right;">(आर.के.जायसवाल) जिला कलक्टर, धौलपुर</p>	